(Authoritative English Text of this Department notification No. Rev.B.A(3)-2/2018, dated 12-06-2023 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh Department of Revenue (Section-B)

No. Rev.B.A(3)-2/2018, D

Dated Shimla-2, the

12-06-2023

NOTIFICATION

In supersession of the Himachal Pradesh Government notification No.10-9-69-II-Rev.-B, dated 23rd September, 1992 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to fix the following scale of mutation fees for the purposes of said section with immediate effect, namely:-

Sl. No. Name of the Item/ Section

Scale of Fees

- 1. When the entry relates to acquisition of a right or interest by a registered deed (other than the deeds executed after permission of Government U/S 118 of the H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972) or by a decree or order of a court or by an order of Revenue Officer making or affirming a partition under Chapter-IX of the Land Revenue Act, or directing the incorporation in the record of a private partition.
- A fees of Rs. 100 (One Hundred) shall be charged on each proprietary holding subject to Maximum of Rs.500 (Five Hundred).

- 2. When the entry relates to the acquisition of a right or interest by inheritance.
- Rs. 50 (Fifty) per holding subject to maximum of Rs.200 (Two Hundred).
- 3. When the entry relates to the acquisition of a right or interest not otherwise provided for in paragraphs 1 and 2 above and other than the deeds executed after permission of Government U/S 118 of the H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972
- Rs. 50 (Fifty) per holding subject to maximum of Rs.200 (Two Hundred).
- 4. When the entry relates to the acquisition of a right or interest by a registered deed executed after permission of Government U/S 118 of the H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972.
- Rs.5000 (Five Thousand) per holding subject to maximum of Rs.10,000 (Ten Thousand).
- 5. The above fee shall be charged on all mutations whether accepted or rejected:

Provided that the attesting officer may remit the fee on any rejected mutation when in his opinion it would not be proper to recover it from the person in whose favour the mutation was entered.

- 6. In any case in which the fee payable under the foregoing provisions is found to be excessive in amount with reference to the value of the right or interest/ transferred or for any other reason, the Commissioner may either remit the fee or reduce it to such amount as he deems to be reasonable.
- 7. Notwithstanding anything contained in the preceding paragraphs, no fee shall be charged in respect of entries relating to the acquisition of a right or interest by inheritance in the property of any person, in any of the naval, military or air forces of the Union of India:-
 - (a) Who is killed on active service.
 - (b) Who receives a wound or is involved in an accident or contracts a disease while on such service and dies within twelve months as a result of such wound, accident or disease.

By Order

Onkar Chand Sharma Principal Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above, Dated Shimla-2, the

12-06-2023.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- 1. All the Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 2. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
- 3. The Director, Land Records, H.P. Shimla.
- 4. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
- 5. The DLR-cum-Deputy Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
- 6. The Settlement Officer, District Shimla and Kangra at Dharamshala, H.P.
- 7. The Controller, Printing & Stationery, Himachal Pradesh, Shimla-5 for favour of publication in the extra ordinary Rajpatra.
- 8. Guard File.

(Anil Chauhan)
Joint Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार राजस्व विभाग (अनुभाग–ख)

संख्या रैव-बी-ए(3)-2/2018

तारीख. शिमला–2

12-06-2023.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 10—9—69—II—रैव—बी, तारीख 23 सितम्बर, 1992 के अधिकमण में और हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 39 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए इन्तकाल फीस का निम्नलिखित मापमान तुरन्त प्रभाव से नियत करते हैं, अर्थात् :—

कम मद का नाम /धारा संख्या

फीस का मापमान

- 1. जब प्रविष्टि (हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन सरकार की अनुमित के पश्चात् निष्पादित विलेख के सिवाए) किसी रिजस्ट्रीकृत विलेख या न्यायालय की डिक्री या आदेश या भू—राजस्व अधिनियम के अध्याय—IX के अधीन किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किए गए विभाजन के आदेश या खानगी तकसीम के उस अभिलेख में दर्ज करने के निदेश द्वारा अधिकार या हित के अर्जन से सम्बद्ध हो।
- प्रत्येक भू—धृति के स्वत्वधारी से अधिकतम रु 500 (पांच सौ रूपये) के अध्यधीन रु 100 (सौ रूपये) फीस प्रभार्य होगी।

- जब प्रविष्टि, उत्तराधिकार द्वारा किसी अधिकार या हित के अर्जन से सम्बन्धित हो।
- प्रत्येक धृति के लिए अधिकतम रु 200 (दो सौ रूपये) के अध्यधीन रहते हुए रु 50 (पचास रूपये)।
- 3. जब प्रविष्टि किसी ऐसे हित या अधिकार से सम्बन्धित हो, जो उपरोक्त पैराग्राफ 1 और 2 में अन्यथा उपबन्धित न हो और हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन सरकार की अनुमति के पश्चात् निष्पादित विलेख के सिवाए।
- प्रत्येक धृति के लिए अधिकतम रु 200 (दो सौ रूपये) के अध्यधीन रहते हुए रु 50 (पचास रूपये)।
- 4. जब प्रविष्टि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन सरकार की अनुमति के पश्चात् निष्पादित रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किसी ऐसे हित या अधिकार के अर्जन से सम्बन्धित हो।
- प्रत्येक धृति के लिए अधिकतम रु 10,000 (दस हजार रूपये) के अध्यधीन रहते हुए रु 5000 (पांच हजार रूपये)।
- 5. सभी प्रकार के इन्तकालों, चाहे वह मन्जूर हो या नामन्जूर के लिए उपर्युक्त फीस प्रभार्य होगी:

परन्तु अनुप्रमाणित अधिकारी किसी नामन्जूर इन्तकाल की फीस माफ कर सकेगा, जबिक उसकी राय में इसे उस व्यक्ति से वसूल करना, जिसके हक में इन्तकाल दर्ज हुआ है, उचित नहीं हो।

- 6. किसी भी मामले में, जिसमें कि पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन प्रभार्य फीस, अन्तरित किए गए हितों / अधिकारों के मूल्य की राशि से अधिक हो या किन्ही अन्य कारणों से अधिक हो, तो आयुक्त या तो फीस को माफ कर सकेगा या ऐसी राशि को इतना कम कर सकेगा जैसा कि वह युक्ति युक्त समझे।
- 7. पूर्ववर्ती पैरों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, ऐसी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में, जो किसी व्यक्ति द्वारा भारत संघ की वायु सेना, थल सेना या जल सेना में सम्पत्ति के उत्तराधिकार द्वारा किसी अधिकार या हित के अर्जन में, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी, जो:—
 - (क) सिक्य सेवा के दौरान मारा गया हो।
 - (ख) सिक्य सेवा के दौरान जख्मी, दुर्घटनाग्रस्त या किसी बिमारी से ग्रस्त हो गया हो और जिसकी घाव, दुर्घटना या बिमारी के परिणाम—स्वरूप बारह मास की अवधि के भीतर मृत्यू हो गई हो।

आदेश द्वारा.

ओंकार चन्द शर्मा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः रैव—बी—ए(3)—2 / 2018 तारीख, शिमला—2 12—06—2023. प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1. समस्त प्रधान सचिव / सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।
- 2. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
- 3. निदेशक, भू—व्यवस्था, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
- समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
- 5. डी०एल०आर० एवं उप सचिव विधि हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।
- 6. भू—व्यवस्था अधिकारी, शिमला एवं कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
- 7. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन, हिमाचल प्रदेश को राजपत्र में प्रकाशित करने बारे।
- 8. गार्ड फाईल।

(अनिल चौहान) संयुक्त सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार।